

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत

उपरवादी अधिकारी

मुकाम

बयाना

किस्त मुकदमा

परसराम

बनाम

विजय वंगर

नं.

सन

21/2021

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए</p>
<p>19/1/21</p>	<p>दया फर्द शिखर ही। प्राथमिकी की जाँच समन तबल कर पता चल कि मांक 5/5/21 को पेश है। पीठासीन अधिकारी श्री नरेश कुमार शर्मा पत्रादेशी पूर्वानुसार दिनांक 21/1/21 को पेश हो शिखर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	<p>उपरवादी अधिकारी बयाना (भरतपुर)</p>
<p>31/01/21</p>	<p>पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश शर्मा पत्रादेशी पूर्वानुसार दिनांक 31/1/21 को पेश हो शिखर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0</p>	<p></p>
<p>1/2/21</p>	<p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0</p>	<p></p>



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

6/2/24

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/2/24 को प्राप्त
श्री
श्री/श्री/श्री.एम.

21/2/24

प्रकरण पेश हुआ। शब्दकोश की उपस्थिति
तहसीलदार वपाना के पत्रावली (L.R) 418 डिमांड
12/2/24 से कुर्बेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय
हजा के प्राप्त। प्राप्त कुर्बेजात को साबित
मिसल किया। शब्दकोश की को शब्द-
पक्षीय (वहस भक्ति) सुना। शब्द को हारा
तहसीलदार वपाना से प्राप्त (तैयार) कुर्बेजात
रिपोर्ट अनुसार वाद-की डिमांड डिमांड
जाने का निर्दिष्ट किया। हमने पत्रावली
व पत्रावली में संलग्न वाद-की डिमांड
का अवलोकन किया। तहसीलदार वपाना
से प्राप्त कुर्बेजात रिपोर्ट अनुसार वाद-
की डिमांड यथा है।

माहिका-

अनुसार वाद-की तहसीलदार वपाना से प्राप्त
कुर्बेजात रिपोर्ट क्रमांक (L.R) 418 डिमांड 12/2/24
अनुसार डिमांड किया जाना है। उक्त कुर्बेजात
रिपोर्ट नियम। डिमांड का पूरा होगा। डिमांड
पत्रावली में प्रकाशित उक्त डिमांड
नम्बर से क्रम है। वाद-की वाद-की डिमांड
में हुए लिखाया जाकर सुने न्यायालय
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)